

॥ निदेशालय पुलिस दूरसंचार (पुलिस मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:- न-5(5)वि.स./कानि0 भर्ती 2021/ 673

दिनांक:- 17/05/2023

प्रेस नोट

पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक न-5(2)पु.फो./कानि. भर्ती/2021/2300 दिनांक 29.10.2021 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 2305 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर के कानिस्टेबल के 151 पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिनांक 30 एवं 31.10.2022 को (385-385) अभ्यर्थियों का प्रातः 5:30 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर जयपुर स्टेडियम में उपस्थित होने हेतु इस निदेशालय के पत्र क्रमांक 1426 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया।

कुल 770 अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाकर गठित बोर्ड द्वारा 151 कानि0 दूरसंचार (109 पुरुष एवं 42 महिला) को इस निदेशालय के पत्रांक 1550 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा चयन सूची पर लिया गया।

पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों में से नियुक्ति हेतु अनिच्छुक/अन्यत्र नियोजित व विभिन्न कारणों से अपात्र रहे 19 कानिस्टेबल दूरसंचार पदों पर पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक न-5(73)पु.फो./कानि.भर्ती-21/2022/2170 दिनांक 12.05.2023 द्वारा गठित रिज्यू चयन बोर्ड द्वारा रिज्यू कर संशोधित चयन सूची तैयार की गई। उप महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राज. जयपुर के पत्रांक न-5(64)पु.फो./कानि.भर्ती-21/2022/2190 दिनांक 17.05.2023 के द्वारा उक्त संशोधित चयन सूची का अनुमोदन किया गया है।

अतः निम्नलिखित नवचयनित 19 कानिस्टेबल दूरसंचार अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण (दस्तावेज/चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण) हेतु चयन सूची पर लिया जाता है।

कानिस्टेबल दूरसंचार के रिक्त पदों पर रिज्यू उपरान्त चयनित अभ्यर्थी

S.N	Roll No.	Name	Father's Name	Cat.	EWS	Sex	Date of Birth	Select List	Documents Verification & Medical Date
1	934438044	SURENDER KUMAR	DEVI LAL	OBC-NON CREAMY		M	14/May/1996	OBC-M-9	30 May 2023
2	934468582	AJAY KUMAR MALAV	MANOJ KUMAR MALAV	OBC-NON CREAMY		M	01/Jul/1995	OBC-M-10	30 May 2023
3	934409860	MULCHAND SINGLA	BHANWAR LAL	OBC-NON CREAMY		M	01/Jan/1995	OBC-M-11	30 May 2023
4	934525710	MAHUL KHAN	DEEN MOHMMAD	OBC-NON CREAMY		M	05/Jul/1997	OBC-M-12	30 May 2023
5	934565513	ANKIT KUMAR YADAV	SAMSHER SINGH	OBC-NON CREAMY		M	02/May/1995	OBC-M-13	30 May 2023
6	934426298	DHIRENDRA	KHIYA RAM	OBC-NON CREAMY		M	01/Jul/2003	G-M-41	30 May 2023
7	934552603	MANISH KUMAR	PREETAM SINGH	OBC-NON CREAMY		M	28/Jan/2000	G-M-42	30 May 2023

8	934434196	KAMLESH KUMAR LODHA	BADRI LAL	OBC-NON CREAMY		M	15/Jul/2000	G-M-43	30 May 2023
9	934497398	KULDEEP SINGH RATHORE	HARIOM SINGH RATHORE	OBC-NON CREAMY		M	24/Jun/2001	G-M-44	30 May 2023
10	934487541	SAJID KHAN	NASRU KHAN	OBC-NON CREAMY		M	20/Jun/1998	G-M-45	31 May 2023
11	934483865	BHANU KUMAR	RAM SINGH	MBC NON-CREAMY		M	03/Jul/1999	MBC-M-05	31 May 2023
12	934512182	JALAM SINGH RAJPUROHIT	JETHU SINGH RAJPUROHIT	GENERAL	Y	M	02/Mar/2002	EWS-M-10	31 May 2023
13	934483921	DEEPU CHAUHAN	KAMMOD CHAUHAN	GENERAL	Y	M	12/Aug/2001	EWS-M-11	31 May 2023
14	934563026	RAVI MEENA	RAMCHANDRA MEENA	S.T		M	08/Jun/1999	ST-M-10	31 May 2023
15	934487433	RAVI TONGARIYA	KALURAM TONGARIYA	S.C		M	08/Sep/1999	SC-M-14	31 May 2023
16	934451543	DHARMRAJ MEENA	LALU RAM MEENA	S.T		M	25/Mar/2000	ST-M-11	31 May 2023
17	934414885	PAWAN KUMAR	KESHAR MAL	S.C		M	24/Apr/2001	SC-M-15	31 May 2023
18	934408823	MONIKA KANWAR	NARAYAN SINGH	GENERAL		F	29/Aug/1994	G-F- 19	31 May 2023
19	934540424	ANKITA GAUTAM	KRISHNA KANT GAUTAM	GENERAL		F	19/Jan/1997	EWS-F-4	31 May 2023

उपरोक्त संशोधित चयन सूची विभागीय वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा रही है। कार्यालय संचित निरीक्षक पुलिस दूरसंचार लाईन, जयपुर के नोटिस बोर्ड पर भी चर्या की जा रही है। परीक्षा परिणाम के प्रकाशन में पूर्णरूप से सावधानी बरती गई है फिर भी निदेशालय पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर की सूचना को अधिकृत माना जावे।

अतः सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण में (दस्तावेज/चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण) हेतु अपने समस्त मूल दस्तावेज निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे।


1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण (10 वी, 12 वी तथा उच्चतर) पत्र।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र।
5. अंतिम शिक्षा ग्रहण करने वाले शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
6. विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र।
7. विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
8. परित्यागता होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशन प्रमाण पत्र।
10. यदि अभ्यर्थी राज्य कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र (वर्ष 2020-21 की आय के आधार पर जारी हो)।
12. विशेष योग्यता प्रमाण पत्र (एनसीसी, होमगार्ड, डिप्लोमा इत्यादि)।
13. दो फोटो युक्त पहचान पत्र।
14. दहेज नहीं लेने सम्बंधित प्रमाण पत्र।

15. दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक जीवित संतान नही होने बाबत् शपथ पत्र।
16. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी नही होने बाबत् प्रमाण पत्र।
17. आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नही होने या सजायाफता नही के संबंध में शपथ पत्र।
18. दस्तावेज की सत्यता के संबंध में शपथ पत्र।
19. एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस/ वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा किसी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है तथा अन्तिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र हो तो अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
20. 10 पासपोर्ट साईज के नवीनतम फोटो।
21. लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र।

उपरोक्त सूची में समस्त अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज एवं समस्त दस्तावेज की एक-एक स्व-प्रमाणित छाया प्रति सहित सूची में निर्धारित दिनांक को प्रातः 8:00 बजे संचित निरीक्षक पुलिस दूरसंचार लाईन, जयपुर कार्यालय में उपस्थित होंगे। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नही होने पर यह मानते हुए की आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नही है, चयन सूची से आपका नाम पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।

चयनित अभ्यर्थियों को उक्त प्रयोजनार्थ उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व मानदेय देय नही होगा। अभ्यर्थियों की उपस्थिति देने के उपरान्त बायोमेट्रिक सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा। अतः सभी अभ्यर्थीगण स्वास्थ्य परीक्षण तक रुकने की आवश्यक तैयारी के साथ आयेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं विधवा व तलाकशुदा अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त ही नियुक्ति की जावेगी।

उक्त अभ्यर्थियों के चयन का अन्तिम निर्णय दस्तावेज सत्यापन के अध्यक्षीन रहेगा।
संलग्न:- चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा घोषणा पत्र अ,ब,स,एवं द।


(डॉ० हेमराज मेना)
 पुलिस अधीक्षक (प्रथम)
 पुलिस दूरसंचार राजस्थान
 जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महानिदेशक पुलिस (तकनीकी सेवाएँ) दूरसंचार, तकनीकी एवं एस.सी.आर.बी. राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राज. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त चयनित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उक्त दिनांक को आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों को भिजवाने का कष्ट करें।
3. महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस (दूरसंचार एवं तकनीकी) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर।
7. संचित निरीक्षक पुलिस दूरसंचार, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठता क्रम में प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण/मूल कागजात/ चरित्र संबंधी व उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेंगे तथा उक्त प्रेस नोट नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएँ।
8. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस प्रेस नोट का समस्त प्रादेशिक/स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क जनहित में प्रकाशन कराने की व्यवस्था करावें।

9. समस्त पुलिस उपअधीक्षक पुलिस दूरसंचार रेंज, राजस्थान।
10. समस्त जिला प्रभारी पुलिस दूरसंचार राजस्थान।
11. सम्पादक समस्त प्रादेशिक /स्थानीय समाचार पत्रों को आपके समस्त संस्करण में जनहित में निःशुल्क प्रचारित/प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
12. प्रभारी आईसीटी सेल, पुलिस दूरसंचार जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रेस नोट वैबसाईट पर आज ही अपलोड कर पालना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक (प्रथम)
पुलिस दूरसंचार राजस्थान
जयपुर।

कानिस्टेबल सामान्य, पद की परीक्षा हेतु।

परिशिष्ट-अ

घोषणा पत्र / शपथ पत्र

- मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती जाति शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ कि-
1- यह कि मेरे विरुद्ध अभी तक किसी भी पुलिस थाने में किसी प्रकार का कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है।
2- मेरे विरुद्ध शांति भंग करने सम्बन्धी रिपोर्ट नहीं हुई है। न्यायालय में भी मेरे विरुद्ध कोई कार्यावाही नहीं हुई है।
3- यह है कि मेरे विरुद्ध अभियोग संख्या पुलिस थाना में दर्ज अभियोग के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमे में मुझे दोषी / बरी / राजीनामा का निर्णय दिनांक को लिया गया।
4- यह कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या थाना में चालान न्यायालय में विचाराधीन है।
5- यह कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या थाना में वाद तफतीश द्वारा एफआर (F.R.) लगा दी गई है।
6- यह कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या थाना में तफतीश थाने पर विचाराधीन है।
7- मैं यह घोषणा भी करता / करती हूँ कि मैं दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 02 से अधिक बच्चों नहीं है। (दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् किसी एकल प्रसव में एक से अधिक बच्चों पैदा होते हैं तो गणना करते समय एक ईकाई समझा जावेगा)
8- मैं यह घोषणा भी करता / करती हूँ कि मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी / पति नहीं हैं।
9- मैं यह घोषणा भी करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया गया।
10- यह है कि मुझे फिसी चयन बोर्ड / नियुक्ति प्राधिकारी / राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के किसी भी पद हेतु परीक्षा में बैठने अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से विवर्जित (debar) नहीं किया गया है।
11- यह है कि मेरा विवाह श्रीमती / श्री निवासी के साथ दिनांक को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।
12- मेरा विवाह श्रीमती / श्री निवासी के साथ दिनांक को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।
13- अविवाहित हूँ।
14- विधुर / विधवा हूँ (पत्नि / पति श्री / श्रीमती)
15- मैं तलाक श्रुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है) या
16- मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांक को सम्पन्न हुआ था।

नोट:- आवेदक से सम्बन्धित उक्त बिन्दु स 0 1 से 10 में सूचना अंकित करें तथा सही (✓) का चिन्ह लगाएँ शेष में (X) का चिन्ह लगाएँ।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता
(आवेदक)

सत्यापन

मैं पुत्र / पुत्री / श्रीमती जाति निवासी सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान पूर्णतया सही है। यदि असत्य पाया गया तो मैं न्याय की शासकीय एवं कानूनी दण्ड का उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री जाति
 उम्र वर्ष, निवासी

घोषणा करता/करती हूँ कि:-

विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा मेरी नियुक्ति कानि० पद हुई है। मेरा विवाह दिनांक को श्री/श्रीमती के साथ हुआ था। विवाह के समय मैंने एवं मेरे घर वालों ने ना तो दहेज लिया और ना ही दिया था। नविष्य में दहेज लिये जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता यथा शासन सचिव गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा। जिसके लिए मैं पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान:
 दिनांक:

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री श्री उम्र
 जाति निवासी सत्यापित
 करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान पूर्णतया सही है यदि असत्य पाया गया तो मैं सभी तरह की शासकीय एवं कानूनी दण्ड का/की उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

साक्षी	
साक्षी ससुराल पक्ष	साक्षी पितृ पक्ष
1. हस्ताक्षर	1. हस्ताक्षर
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
मोब.नं.	मोब.नं.
2. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
मोब.नं.	मोब.नं.

घोषणा पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष, निवासी.....
घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी.....
वचनबद्ध हूँ कि मैं तम्बाकू/गुटखा/धुम्रपान सेवन नहीं करता/करती हूँ।
2. मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी.....
वचनबद्ध हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार कि मेरे घर पर पक्का शौचालय बना हुआ है और हम सभी घर वाले शौचालय का उपयोग करते हैं।
- 3.

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
उम्र..... जाति..... निवासी.....
सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्णतया सही हैं यदि असत्य पाया गया तो मैं सभी तरह की शासकीय एवं कानूनी दण्ड के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बन्ध-पत्र का प्रारूप डाफ्ट बॉण्ड

मह. बन्ध-पत्र आज दिनांक माह..... सन 200..... को एक
 पद पर पर नियुक्त श्री पुत्र
 निवासी
 (जिन्हें आगे एतद पश्चात् "प्रशिक्षार्थी" कहलावेगा) और दूसरे पक्ष के प्रथम
 पक्ष से पुत्र श्री निवासी एवम् द्वितीय
 पक्ष से पुत्र श्री निवासी (जिन्हें इसमें
 आगे एतद पश्चात् सामूहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) की ओर से राजस्थान
 राज्य के राज्यपाल (जिन्हें आगे एतद पश्चात् सरकार कहा जायेगा) के पक्ष में
 लिखा गया।

चूंकि सरकार ने प्रशिक्षार्थी को पद पर नियुक्ति हेतु चुना

और चूंकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी को उस पद
 पर का स्वतंत्र रूप से प्रभार सम्भालने से पूर्व जिसके लिए उसे चुना गया है
 को अवधि का प्रशिक्षण..... और चूंकि सरकार इसमें आगे
 एतद पश्चात् दो हुई शर्तों पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में भेजने के लिए इस
 प्रतिबन्ध के साथ सहमत हो गई है कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों
 का पूर्णतः पालन करने के लिए जामिन मजानत देगे,
 और चूंकि जामिन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः
 अनुपालन करने के लिए जमानत देने का सहमत हो गये है।

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है कि-

- (1) कि सरकार के प्रशिक्षणार्थी को के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के विचार से एवम् कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी एतद द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भीतर वह उपयुक्त कथित पद जिसके लिए कि वह चुना गया है, से न तो त्याग पत्र देगा और जिस पद के लिए वह चुना गया है, उससे अतिरिक्त न किसी अन्य पद पर नियोजित ही होगा।
- (2) कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (1) का उल्लंघन करते हुए कहीं और नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन पृथक- पृथक रूप से और सामूहिक रूप से वह समस्त राशि सरकार को वापस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को देती है, इसके साथ वे सब अन्य खर्च जो सरकार को लौटावेगे जो इसमें सरकार को करने पड़े। किन्तु, इनके प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दी गई यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि शामिल नहीं होगी।

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनों को प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी जब सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसी के साथ स्वरूप यह बन्ध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपर्युक्त अंकित दिनांक और वर्ग को हस्ताक्षरित किया गया है।

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जामिनों के पास अचल सम्पत्ति है और उस अचल सम्पत्ति का मूल्य रूप में से कम नहीं है।

कलक्टर/सहायक कलक्टर/

परगनाधिकारी/तहसीलदार

के हस्ताक्षर

धियोप ध्यान देने हेतु-इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी। जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान